जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

Ref. No: BRLPS/PROJ/145/09/187 Date: 21.04.2015

कार्यालय आदेश

बीमा सहेली

बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रुप से स्वावलंबी बनाये जाने के लिए संकल्पित है। इस हेतु परियोजना के माध्यम से गरीब महिलाएँ (जो समान आर्थिक तथा सामाजिक स्तर की होती है) को संगठित कर स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाता है। जीविका द्वारा समूह एवं तत्पश्चात बनने वाले उच्चतर सामुदायिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जाता है। इसके लिए समूह स्तर पर क्षमतावर्धन किया जाता है तथा सदस्यों की शुरुआती विभिन्न जरुरतों को पूरा करने हेतु जीविका द्वारा आरंभिक पूंजीकरण निधि एवं परिक्रमी निधि के रुप में निवेश किया जाता है। साथ ही बैंकों से संस्थागत ऋण पाने हेतु बैंक से जुड़ाव में सहयोग किया जाता है, आय वृद्धि के लिए जीविकोपार्जन संबंधी अनेक गतिविधियाँ चलायी जाती है तथा जोखिम कम करने हेतु सामुदायिक संगठनों के स्तर पर खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर कार्य किया जाता है।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–सं0सं0–ग्रा0वि0–7/एन0आर0एल0एम0–52/10/3699, दिनांकः05/04/2011 के आधार पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कार्य करने के लिये नामांकित किया गया है ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य विस्तारित किया जा सके।

जीविका परियोजना बिहार राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखण्डों में क्रियान्वित है। इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संगठनों जैसे सामुदायिक संस्थाओं का गठन एवं उनका सशक्तिकरण किया जाता है।

जीविका ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों के बीच कार्य करती है जो गरीब हैं तथा जिनके पास आय के साधन सीमित हैं। वैसे गरीब परिवारों की अकस्मात विपदाओं से निपटने की क्षमता भी कम होती है। परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु भी ऐसी ही एक क्षति है जिसके फलस्वरुप अनेक गरीब परिवार आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते है। ऐसी स्थिति में जीवन बीमा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रुप में उभरता है। बिहार सरकार एवं जीवन बीमा कंपनियों द्वारा निरंतर प्रयास किये गये है ताकि गरीब परिवारों को न्यूनतम लागत में सुलभ एवं सुदृढ़ बीमा योजनाएँ उपलब्ध हो सके । इसके अंतर्गत बीमाकृत जीवन या सम्पति के नुकसान के अनुपात में आर्थिक

मदद दी जाती है ताकि परिवार की तात्कालिक जरुरतों को पूरी की जा सके तथा उन्हें आर्थिक विपत्ति से बाहर निकाला जा सके।

बीमा की योजना को उद्देश्यपूर्ण तथा कारगर बनाने हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि समुदाय की जरूरतमंद लोगों को दुख के समय बीमा योजना का लाभ मिल सके। गरीब परिवारों के जोखिम कम करने के प्रयासों के तहत जीविका, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मिलकर समुदाय की गरीब महिलाओं को जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। इस कार्य में काफी तेजी आयी है और जून 2014 तक लगभग चार लाख महिलाएँ अपना बीमा करवा चुकी है। जीविका द्वारा जोखिम कम करने के उद्देश्य में एक लक्ष्य जीवन बीमा के बारे में महिलाओं को जागरुक करना, सभी इच्छुक योग्य महिलाओं या पुरुषों को बीमा प्रक्रिया में शामिल करवाना, मृत्यु दावा तथा अन्य संबंधित दावों का निपटारा करना है। पूरी प्रक्रिया सामुदायिक सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है।

वर्त्तमान में सामुदायिक संगठनों के सहयोग से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित आम आदमी बीमा योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसका प्रीमियम 200 रु0 है तथा इसमें 100 रुपये का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है तथा शेष 100 रुपये का अंशदान संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये तथा अस्वाभाविक मृत्यु होने पर 75,000 रुपये का दावा भुगतान किया जाता है। साथ ही वैसे बीमित व्यक्ति जिनके बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 2 बच्चे तक 1200रु0/वर्ष के हिसाब से अधिकतम 2400 रु0 तक की राशि शिक्षा हेतु स्कालरशिप के रुप में प्रदान की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के महत्व को घर-घर पहुँचाने एवं सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की जरुरत महसूस की गयी ताकि पारिवारिक स्तर पर संबंधित जोखिमों को कम किया जा सके।

इसी परिपेक्ष्य में सुक्ष्म बीमा हेतु एक सामुदायिक साधनसेवी (Community Resource Person) की जरुरत महसूस की जा रही है जो सामुदायिक संगठनों एवं बीमा कंपनियों के बीच एक सहायक सेतु का कार्य कर सके । ऐसे साधन सेवी की मुख्य जिम्मेदारी गाँव स्तर पर बीमा सेवाएँ देना जैसे बीमा व्यक्ति से वंचित सदस्यों की सूची तैयार करना, बीमा का आवेदन जमा करना, दावा निपटारा इत्यादि में समुचित सहायता उपलब्ध करवाना होगा। उस सामुदायिक कैडर को **"बीमा सहेली"**के रूप में जाना जायेगा।

बीमा सहेली की योग्यता एवं पात्रता की शर्तेः-

- वह स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो या स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवार के सदस्य हों। बीमा सहेली के रुप में समूह से जुड़ी महिलाओं या उनके परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- बीमा सहेली को क्षेत्र भ्रमण हेतु परिवार का सहयोग प्राप्त हो।
- उनका व्यवहार कुशल एवं मृदुभाषी हो।
- बीमा सहेली की शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 10वीं पास हो।

- उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच हो ताकि क्षेत्र का भ्रमण अच्छे तरीके से कर सकें।
- वे लिखने पढनें में अच्छी हों, उनकी लिखावट अच्छी हो एवं सामान्य अंकगणित का ज्ञान हो।
- वे गरीबों के प्रति संवेदनशील हों।
- उनका सुझाव नयी चीजों को सीखनें के प्रति भी हो (जैसे कंपयूटर इत्यादि)।

बीमा सहेली की चयन प्रक्रियाः-

- जीविका समुदाय केन्द्रित एवं समुदाय द्वारा संचालित एक विकास परियोजना है, इसलिए यह आवश्यक है कि बीमा सहेली के चयन की हर चरण की प्रक्रिया में समुदाय के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो ताकि पूरे प्रक्रिया में विश्वसनीयता लायी जा सके। संकुल स्तरीय संगठन (जो समुदाय आधारित संस्थाएँ हैं), इस पूरे चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाऍगें। वैसी स्थिति में जहाँ संकुल स्तरीय संगठन नहीं बन पाए हों, वहाँ परियोजना के प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई को इस दिशा में अहम योगदान देना होगा।
- बीमा सहेली का चयन परियोजना के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में से किया जाना चाहिए।
- परियोजना कें गॉवों में बीमा सहेली चयन हेतु प्रचार प्रसार ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों कें माध्यम से किया जाना चाहिए।
- ऐसे सभी आवेदन जो बीमा सहेली के चयन के संबध में प्रखंड स्तरीय कियान्वयन इकाई / संकुल स्तरीय संगठन को प्राप्त हो, उन्हें उस गॉव के ग्राम संगठन के समक्ष रखकर उनकी राय लेना अनिवार्य है।
- प्रखंड स्तरीय क्रियान्वयन इकाई / संकुल स्तरीय संगठन को प्राप्त सभी आवेदनों की योग्यता या पात्रता की शर्तों के आधार पर जॉच करना आवश्यक है।
- यह ध्यान रहे कि बी0 पी0 आई0 यू0 स्तर पर एक कमिटि (समिति) मिलकर ही योग्यता संबधी पक्षों पर सहमति बनाकर निर्णय लेगी।

पहचानः-

बीमा सहेली के चयन की प्रक्रिया पूर्व निर्दिष्ट पात्रता के आधार पर की जाएगी। संकुल स्तरीय संगठन/ग्राम संगठनों से बीमा सहेली बनने के इच्छुक लोगों की एक सूची तैयार करवाई जायेगी। बीमा सहेली उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् संकुल स्तरीय संगठन/नोडल ग्राम संगठन एक अंतिम सूची तैयार कर अपने मासिक/पाक्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगी।

स्क्रीनिंगः-

अंतिम सूची तैयार होने के उपरांत सबसे सही उम्मीदवारों का (जिनके नाम प्रस्तावित हैं) उपर्युक्त शर्तों के आधार पर जॉच की जाएगी। यह प्रक्रिया संकुल स्तरीय संगठन अथवा प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई द्वारा पूरी की जाएगी। प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई द्वारा निर्णय की स्थिति में एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। बीमा सहेली संकुल स्तरीय संगठन की कैडर होंगी।

इस समिति में कौन होंगेः-

- दो प्रतिनिधि संबंधित संकुल स्तरीय संगठन अथवा नोडल ग्राम संगठन के होंगे।
- एक जिला स्तरीय प्रबंधक (सामाजिक विकास/सूक्ष्म वित्त)।
- सूक्ष्म वित्त प्रतिनिधि (प्रखण्ड स्तरीय)
- प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक

उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग आपसी वार्ता एवं पात्रता संबंधी शर्तों के आधार पर की जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार किस हद तक अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा। स्क्रीनिंग के चरण में जिन उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनेगी उन्हें तीन महीनें के लिए प्रशिक्षु बीमा सहेली के रुप में कार्य करने का मौका दिया जाएगा।

उन्मुखीकरणः-

इस तरह चयनित बीमा सहेली प्रस्तावित उन्मुखीकरण प्रक्रिया से गुजरेंगे जो कि प्रखण्ड स्तर पर होगा। इसमें जीविका से संबंधित बातों पर जैसे की जीविका परियोजना के उद्देश्य, संस्थागत ढ़ाँचा, मुख्य कार्य एवं कार्य प्रणाली, सूक्ष्म बीमा एवं इसके महत्व इत्यादि पर चर्चा होगी। साथ ही साथ नवचयनित बीमा सहेलियों को समूहों एवं ग्राम संगठनों के कार्यो एवं उनकी बैठक संबंधित कियाकलापों से अवगत करवाया जाएगा।

प्रशिक्षणः-

उन्नमुखीकरण के बाद बीमा सहेली/सहेलियों को एक प्रशिक्षण दिया जाएगा जो राज्यस्तरीय या जिला स्तरीय होगा। यह तीन/चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण विभिन्न बीमा उत्पादों पर केन्द्रित होगा। इस प्रशिक्षण में उनके कार्यो एवं दायित्वों को विस्तार से बताया जाएगा।

प्लेसमेंटः-

उन्नमुखीकरण प्रशिक्षण एवं इस दौरान दिये गये सभी कार्यो का सफलतापूर्वक निर्वहन के बाद बीमा सहेली को संकुल स्तरीय संगठन में कार्य करने हेतु पदस्थापित किया जाएगा। वर्तमान में एक प्रखंड स्तर पर 3 (तीन) बीमा सहेली को कार्य करने हेतु पदस्थापित किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रबंधन इकाई (SPMU) के स्वीकृति के तदुपरांत बीमा सहेली की संख्या को प्रखंडस्तर पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। प्रोग्राम समन्वयक (वित्तीय समावेशन) के द्वारा इसकी संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाकर 6 (छह) तक की जा सकती है। इससे ज्यादा बढ़ाने हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति जरुरी होगी।

कार्य एवं दायित्व (Role & Responsibility)

कार्य-

- बीमा को लेकर ग्राम स्तर पर जागरुकता फैलाना।
- छूटे हुए सदस्यों की जानकारी इकट्ठा करना, उन्हें बीमा उत्पादों एवं उनके फायदों के बारे में बताना एवं बीमा करवाने हेतु आग्रह करना।
- संकुल स्तर के सभी बीमित सदस्यों की सूचना रखना।
- सदस्यवार बीमा बांड कागज का वितरण सुनिश्चित करना एवं इसकी जानकारी लिखित रूप में नोडल व्यक्ति को देना।
- प्रत्येक वर्ष शिक्षा सहयोग योजना का आवेदन सदस्यवार अद्यतन करना।
- पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को नोडल व्यक्ति को जमा करना।
- शिक्षा सहयोग योजना के आवेदन पत्र को पूर्ण करना।
- शिक्षा सहयोग योजना का लाभ सदस्यों तक पहुँचाना।
- परियोजना द्वारा बाद में पशु बीमा या अन्य तरह की बीमा की ओर झुकाव होने पर बीमा सहेली द्वारा वे सारे कार्य किये जाएँगे जो वर्तमान में वर्णित हैं। इसके लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण परियोजना द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

बीमा का नवीकरण (Renewal of policy)

- बीमा सहेली द्वारा बीमा के नवीकरण की प्रक्रिया बीमा की समाप्ति तिथि से दो माह पूर्व शुरू हो जानी चाहिए ताकि अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उनका नवीकरण किया जा सके।
- संबंधित ग्राम संगठन को सूची के साथ सूचना देना।

- नवीकरण हेतु भरे हुए आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त संकुल स्तरीय संगठन/प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जमा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बीमा प्रीमियम की राशि सदस्यों द्वारा समूह में जमा कर दिया गया है।

<u>दायित्व</u>

- बीमा सहेली द्वारा संबंधित ग्राम संगठन का परिभ्रमण एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
- नोडल ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ द्वारा संबंधित बीमा संस्थानों को भेजे जाने वाले प्रीमियम राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाने में सहयोग करना एवं प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को निर्धारित समय के अंदर जमा करना।
- बीमा सहेली द्वारा 15 दिनों में किये गये कार्य गतिविधियों की रिपोर्ट प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में नोडल व्यक्ति को जमा करनी होगी।
- बीमा सहेली द्वारा संकुल स्तरीय संघ या नोडल ग्राम संगठन में बीमित सदस्यों की सूची को फाइल करना।
- बीमा सहेली द्वारा बीमा के अन्य उत्पादों की जानकारी भी ग्राम संगठन को उपलब्ध कराना।
- कार्यो को सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु बताये गये विभिन्न अन्य जिम्मेदारियों को मनोयोग पूर्वक करना।
- परियोजना या सामुदायिक संगठनों द्वारा दिया गया अन्य कार्य।

<u>दावा निपटारा (Claim settlement)</u>

- बीमा सहेली बीमित सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के एक दिन के अंदर नोडल व्यक्ति/मैनेजर सुक्ष्म वित्त/प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को मोबाईल/टेलीफोन से सूचना अवश्य करेगी।
- दुर्घटना की स्थिति में थाना में प्राथिमिकी दर्ज (FIR) कराने हेतु नामित व्यक्ति को जानकारी देगी एवं सहयोग करेगी।
- बीमा सहेली द्वारा मृत बीमित सदस्य के नामित को नजदीक के ग्राम संगठन/ संकूल स्तरीय संघ से रू०-5000/-(पाँच हजार रुपये) की अग्रिम राशि उपलब्ध कराएगी। अग्रिम राशि की प्राप्ति रसीद संबंधित ग्राम संगठन/संकूल स्तरीय संघ में जमा की जाएगी।
- नामित व्यक्ति की पहचान कर अग्रिम राशि का भुगतान ग्राम संगठन के तीन सदस्यों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। राशि भुगतान के समय प्राप्ति रसीद पर उपस्थित ग्राम संगठन के सदस्यों के समक्ष नामित व्यक्ति का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लिया जायेगा जिसे सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

- बीमा सहेली आवश्यक दस्तावेजों के साथ (मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में)15 दिनों के अंदर नोडल व्यक्ति को अवश्य जमा कर देगी। दावा निपटारा हेतु पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण ससमय सुनिश्चित किया जाएगा।
- बीमा सहेली दावा प्रपत्र को अनुलग्नक के साथ पूर्ण रूप से भर कर नोडल व्यक्ति को जमा करेगी।
- बीमा सहेली नामित व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने एवं बैंक में नामित व्यक्ति का बचत खाता खोलने में सहयोग करेंगी ।
- बीमा कंपनी से प्राप्त बीमित राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी एवं इस कम में पूर्व में देय अग्रिम राशि रू॰-5000/-(पाँच हजार) का समायोजन सुनिश्चित करेगी।

<u>बीमा सहेली का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि</u>

चिन्हित एवं चुनाव किए जाने के उपरांत बीमा सहेली शुरुआत के तीन महीने उन्हें एक नियत मानदेय (**रू1750**) एवं TA (रू250) कुल (1750+250 =रू2000) भुगतान किया जाएगा। प्रांरभ में यह राशि नोडल ग्राम संगठन/संकुल/प्रखण्ड स्तरीय फेडरेशन (Nodal VO/CLF/CLFs) के बदले में प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा भुगतान की जाएगी तथा आगे चलकर यह जिम्मेवारी नोडल ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संगठन/प्रखण्ड स्तरीय फेडरेशन (Nodal VO/CLF/BLF) द्वारा पूरी की जाएगी।

शुरुआत के तीन महीने के उपरांत नियत मानदेय बढ़कर **रू2500, यात्रा भत्ता -रू500** मिलेगा इस प्रकार कुल भुगतान (2500+500=रू 3000) होगा।

	मानदेय	यात्रा भत्ता	कुल मानदेय	प्रोत्साहन राशि
शुरुआत के तीन महीने	1750	250	2000	**200रु0** (प्रत्येक आम आदमी बीमा दावा निपटारा भुगतान पर)
तीन महीने के उपरांत	2500	500	3000	**200रु0** (प्रत्येक आम आदमी बीमा दावा निपटारा भुगतान पर) **15 रु0** (प्रत्येक शिक्षा सहयोग योजना की छात्रवृति प्राप्त करने पर)

बीमा सहेली को उपर दिए जाने वाले मानदेय (यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता) के अलावा प्रत्येक आम आदमी बीमा भुगतान पर (200) रू० एवं प्रत्येक शिक्षा सहयोग योजना प्राप्त लाभार्थी (जब शिक्षा सहयोग योजनाकी राशि का भुगतान लाभार्थी को हो जाएगा।) पात्रता के लिए (15) रू० प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।

21/4/15

(डा0 एन0 विजय लक्ष्मी)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–राज्य मिशन निदेशक

Copy to:

1. OSD/Director/CFO/FO/AO/PS
2. PC-FI/PC-KMG/All SPMs/All PMs
3. All DPMs/Incharge DPMs/All thematic Managers/YPs
4. All BPMs/Incharge BPMs
5. IT Section/Concerned File